बिहार सरकार
श्रम , नियोजन एंव प्रशिक्षण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

संचिका संख्या 2/बी0एल0-1217/2001 श्र0नि0- 1215

प्रेषक,

आर0 सी0 वैश्य,
आयुक्त एवं सचिव,

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना , दिनांकः- 21-9-2001

विषयः- **जिला स्तरीय / अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति एवं स्क्रीनिंग समिति के गठन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस कार्यालय की अधिसूचना ज्ञापांक-160 दिनांक 14.05.92 ज्ञापांक 300 एवं 301 दिनांक 07.04.98 द्वारा क्रमशः जिला स्क्रीनिंग समिति अनुमंडल निगरानी समिति तथा जिला निगरानी समिति के गठन का निर्देश दिया गया था ।

(2) अनुमंडल / जिला स्तरीय समितियों के बैठक की सूचना / कार्यवाही सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को प्राप्त नहीं हो रही है , इससे ज्ञात होता है कि इसकी बैठक नियमित आयोजित नहीं की जाती है ।

(3) बन्धुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के धारा 13 अन्तर्गत जिला/ अनुमंडल स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाना है एवं इसकी बैठक प्रत्येक 2 माह पर कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जानी है ।

(4) इस निगरानी समिति द्वारा बंधुआ मजदूरों के पहचान एवं मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जानी है ।

(5) इसी प्रकार जिला स्तर पर स्क्रीनिंग समिति का भी गठन किया जाना है, मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

(6) सुलभ प्रसंग हेतु पूर्व निर्गत पत्रों की प्रतिलिपियाँ पुनः संलग्न की जा रही है , यदि आवश्यक हो तो इन समितियों का पुर्नगठन कर लिया जाय ।

अतः अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए उक्त समितियों की बैठक नियमित रूप से बुलाई जाय एवं बैठक की कार्यवाही से ससमय अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करें ।

विश्वास भाजन

(आर0 सी0 वैश्य)
आयुक्त एवं सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , बिहार